

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / सहायक अभियंता

101

विद्यालय शिक्षा समिति प्र. 0. वि. 0. कमान प्रखंड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 11-12 में AER A.P.P. (अतिरिक्त, वर्गकक्ष / नवो प्रा0 / वि0 / प्रधानाध्यापक कक्ष (भूतल + 455 प्रथम तल) निर्माण मद में प्राक्कलित राशि रु. 14,26,800/- के विरुद्ध प्रथम किस्ता 10,50,000/- द्वितीय किस्ता + तृतीय किस्ता कुल 10,50,000/- लाख निर्गत है। पूर्व में समायोजन प्रथम समायोजन 5,16,299/- द्वितीय समायोजन + तृतीय समायोजन कुल समायोजन 5,16,299/- का किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण है।

मापी पुस्तिका के अनुसार विवरणी

मापी पुस्तिका में अद्यतन राशि

विद्यालय शिक्षा समिति को कुल देय राशि

वाणिज्य कर कुल देय

खनन कर कुल देय

तकनीकी पर्यवेक्षण कुल देय

1% शेष 1% तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय शिक्षा समिति, वाणिज्य कर, खनन कर एवं अन्य में मापी पुस्तिका के अनुसार निर्गत एवं समायोजन योग्य राशि:-

विद्यालय शिक्षा समिति को निर्गत योग्य राशि-

(10,50,541/- - 10,50,000/-)

वाणिज्य कर-

Rs (41,839/- - -)

खनन कर-

Rs (1,698/- - -)

तकनीकी पर्यवेक्षण श्री. रामचन्द्र मेघवा

(1,132/- - -)

समायोजन योग्य राशि-

(10,50,000/- - 5,16,299/-)

अतः विद्यालय शिक्षा समिति को रूपया 5,41,200/- निर्गत करते हुए, लेखा शाखा में पूर्व में यदि समायोजन हो तो मिलान करते हुए, अंतिम समायोजन रूपया 5,33,701/- का समायोजन का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है।

Rs 11,32,000/-

Rs 10,50,541/-

Rs 41,839/-

Rs 1,698/-

Rs 11,320/-

Rs 11,320/-

Rs 541/-

Rs 41,839/-

Rs 1,698/-

Rs 11,320/-

Rs 11,320/-

Rs 5,33,701/-

14/3/16

18/4/16

Royalty - 16980/-

Vat - 41839/-

Ad - 533701/-

Los charges - 16980/-

मुगतेय राशि 101881/-

बैंक का नाम PNB

घनादेश चेक सं० 155494

तिथि 28-02-16

[Signature]
28/02/16
लेखा पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

[Signature]
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान
वि० शि० प०, औरंगाबाद

Schedule XLV-Form No. 134

1115

~~2011-15~~ 11-12

construction of ACR-4 with stairs **DIVISION**

in government upgrade middle **SUB-DIVISION**

School Kamat under Madampur block
Aurangabad (3ff + 1ff)

Measurement Book

Name of work— **1**
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Sight clearance - 2 labour					
@ 125 =				Rs	250/w
(2) Providing 25cm diameter pile:—					
$49 \times 0.5 = 48 \text{ meters } (3/5 \text{ m})$					
@ 59.80 =				Rs	2579/w 128370
(3) Providing 63cm diameter under beam:—					
$49 \times 2 = 18$					
@ 63.80 =				Rs	1531/w 114840
(4) Providing R.C.C. in grade					

beam - stairs

$59'-4'' \times 10'' \times 8'' =$				
32.96 cft				
@ .934 m ³				
@ 3852.60 =				Rs 3131/w
(5) Providing R.C.C. in pile:—				
$49 \times \pi/4 \times .25 \times .25 \times 3.5 +$				
$18 + 4 \times .05 =$				
= 1.254 + 57 1.2				
= 0.26 m ² 2.74 m				
@ 2912.20 =				Rs 9497 157979
(6) Providing brick work from				
to D.P.C. =				
$59'-4'' \times 10'' \times 2'$				
= 98.88 cft				
= 2.80 M ³				
@ 2920.70 =				Rs 8178/w

Continuation

Bf = ~~Rs 25099/w~~
Rs 22570/w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(7) Providing clean sand filling in foundation:-					
50' x 4'					
18' x 10' x 2' = 360 cft					
= 10.20 M ³					
@ 135.34					= Rs 1399/w
(8) Providing brick flat soaling in foundation stairs Room:-					
18' x 10' x 3" = 1808 cft					
= 16.78 M ³					
@ 164.40					= Rs 2750/w
(9) Providing brick work in stair Room:-					

59'-4" x 10" x 2' 10'					
= 494.94 cft					
= 14.01 m ³					
@ 2920.70					= Rs 40919/w

(10) Providing R.C.C. work in stairs as per specification:-					
Beam -					
4 x 11'-8" x 0'-10" x 0'-10" = 39.41 cft					
Waste slab - 5'-5" x 10'-6" x 4'-0" x 0'-5" = 38.19 cft					
Tread - 20 x 1/2 x 0'-11" x 0'-6" x 4'-0" = 18.93 cft					
Landing - 2 x 11'-8" x 5'-4" x 0'-5" = 51.85 cft					
					135.78 cft
					= 2.848 M ³
@ 3562.40					= Rs 13708/w

Continuation

Bf = Rs. 83875/-
813467/2

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(11) Providing brick work p.c.c. level to R.O.B level 5' 6" -					
Wall -					
346' x 10" x 10' = 2883.33					
Deduction:-					
Door -					
6 x 3'-6" x 0'-10" x 7' = 122.50					
Window -					
6 x 5'-0" x 0'-10" x 5' = 125.00					
open verandah -					
2 x 4'-4" x 0'-10" x 7' = 55.56 cft					
open verandah -					
7 x 6'-0" x 0'-10" x 5'-0" = 100 cft					
open verandah -					
4 x 7' 8" x 6'-0" x 6'-0" x 0'-10" = 47.10 cft					

stair -

10'-0" x 10' x 0'-10" = 83.33 cft	
Lintel = 46.40 cft	
Lintel band = 170 cft	
Stiffener = 108.83	
Net quantity = 853.22	
= 2030.1 cft	
= 57.477 cubic meter	

@ 3201.10 = Rs 183981.62

(12) Providing p.c.c. work from all corner in first floor R.O.B level -	
13 x 0'-10" x 0'-10" x 10' = 90.279 cubic feet	
= 2.59 cubic m.	
@ 3569.40 = Rs 9116/-	

Continuation

BF = ~~Rs 276980~~
27445/4

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(13) Providing 35 mm thick R.C.C. in Raft:-					
4 x 4 x 8'	10"	2'-4"			
					= 148.11 cft
					148.11 x 1.5"
					= 17.89 cft
					= 1.57 cubic m
@ 3199.85 =				Rs	1631.99
(14) Providing R.C.C. (1:1.5:3) in Lintel:-					
length -					
6 x 4'-6" + 6 x 6' + 2 x 5'-4"					
					= 73.67
Reck - 4 x π/2 x 6'					= 37.68
					111.35
111.35 x 0'-10" x 0'-6"					
					= 46.4 cft
					= 1.31 cubic m

@ 3562.40 = Rs 4666/00

(15) Providing R.C.C. (1:1.5:3) Lintel band on Lintel level:-					
length -					
346' - { 73.67 + 4 x 6' }					
					= 248'-4"
Lintel band -					
248'-4" x 0'-10" x 0'-6"					
					= 108.47
					cft
Bed block -					
3 x 2 x 2'-4" x 0'-10" x 0'-8"					
					= 7.77 cft
Sill band -					
{ 346'-0" - 6 x 8'-6" - 2 x 4'-4" }					
{ = 4 x 6'-0" - 10' } x 0'-10" x 0'-3"					
					= 58.82 cft
					= 170.08 cft

@ 3562.40 = Rs 17135/00

Continuation

Bf = ~~200413/20~~
277884/20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(16) Providing 63 m.m. thick chhajja	1.2	4.7	in R.C.C.		
Window	-				
		$6 \times 6'-0'' \times 2'-0'' = 72$	S.F.T.		
		$72 \times 2.5'' = 15$	cbf		
			= 43 cubic meter		
@ 3199.85				Rs	1376/w
(17) Providing 35 m.m. thick track in R.C.C.					
		$3 \times 4 \times 3' 10'' \times 2' 4'' = 107.33$	S.F.T.		
		$107.33 \times 1.5'' = 13.42$	cubic feet		
			= 1.34 cubic meter		
@ 3199.95				Rs	1087.98

(18) Providing R.C.C. in beam					
		$1 \times 3 \times 13'-8'' \times 10'' \times 12'' = 49.17$	cubic feet		
			= 1.39 cubic meter		
@ 3562.40				Rs	4951/w
(19) Providing R.C.C. in slab					
		$8'-2'' \times 27'-6'' - 18'-0'' = 2052.08$	S.F.T.		
		$2052.08 \times 5'' = 855.03$	cbf		
			= 24.20 cubic meter		
@ 3562.40				Rs	8622

Continuation

Bf = Rs. 394518/w

Sch. XLV—Form No. 134

6

(20.) S.N.	Particulars		Details of actual measurement				Contents of area
			No.	L.	B.	D.	
1. Pile	Unit	Quantity	Rate	Total			
	No	12	13.450	161.4			
2. B	cbf	32.96	2.00	65.92			
3. Slab (10)	cbf	136.78	2.00	273.56			
4. Rec (12)	cbf	90.277	2.00	180.554			
5. Rec Rack	cbf	17.89	1	17.89			
6. Lint	cbf	46.4	2.17	100.68			
7. Lint band 15	cbf	58.82	2.14	125.87			
8. chha 15	cbf	15	1.03	15.45			
9. Rack in Rec	cbf	18.42	1.12	20.63			
10. beam	cbf	49.17	5.50	270.435			

11. Roof	cbf	855.03	2.16	1846.86		
12. Slab 80 cft	cbf	81.168	2.14	172.699		

Total = 2316.679

@ 61.6 = 3079.016 Rs 179667/w

Total = Rs 573715/w
Rs 58118620

second and final bill:

1. Providing @ stair work in first floor: -

Beam -	
4 x 11'-8" x 0'-10" x 0'-10" = 32.41 cbf	
Waste slab { 9'-5" + 10'-6" } x 4'-0" x 0'-5" = 38.19 cbf	
Tread - 20 x 1/2 x 0'-11" x 0'-6"	

4'-0" Continuation = 18.33 cbf
Landing - 2 x 11'-8" x 5'-4" x 0'-5" = 51.85 cbf

@ 3562.40 = 13578 cbf = Rs 13708/w

Bf = 13708/w

Sch. XLV—Form No. 134

7

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2. Providing brick work in					
first floor stair					
		59'-4"	10"	0'-10"	
		= 494.44 cft			
		= 14.01 M ³			
Head Room					
		10'-0"	0'-10"	4'-0"	33.33 cft
					= 9.44 M ³
Total =		14.01	0		
		9.44			
		14.95			
		14.95			
① 2920.70					= Rs 48676/w
3. Providing 100% brick work					
work					

first floor					
1 x 19'-0" x 0'-10" x 10'-0"					
					= 991.67 cft
Reduction					
Door					
1 x 2 x 3'-6" x 0'-10" x 7'-0"					
					= 40.83 cft
Window					
1 x 2 x 3'-6" x 0'-10" x 7'-0"					
					= 40.83 cft
open verandah					
2 x 6'-0" x 0'-10" x 7'-0"					70 cft
open verandah					
3 x 5'-7" x 0'-10" x 5'-8"					79.10 cft
open verandah					
2 x 5'-7" x 0'-10" x 5'-8"					
3 x 39 x 5'-7" x 5'-7" x 0'-10"					
					= 30.39 cft
Stair					
6 x 0'-5" x 0'-5" x 10'-0"					10.42
column					
4 x 0'-10" x 0'-10" x 10'-0"					27.78 cft
Lintel					56.70 cft
bed block					30.24 cft

Continuation

Bf = Rs 116827/w

Sch. XLV—Form No. 134

9

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(4) Providing 1:1.5:3, R.C.C. in lined band					
Sill band length					
first blow					
2 x 23' 8" = 47.83 feet					
2 x 18' 0" = 36.00 feet					
3 x 2' 6" = 17.50					
				90.83	
Deduction					
Doors					
1 x 2 x 3' 6" = 7.00					
Quantity first blow					
Bed block					
1 x 2 x 2' 6" x 0' 10" x 0' 8"					
				2.78 cft	
Sill band					

1 x 1 x 83' 10" x 0' 10" x 0' 3" = 17.47 cft

Door jambs

2 x 2 x 7' 0" x 0' 10" x 0' 3" = 5.83 cft

Window jambs

2 x 2 x 5' 0" x 0' 10" x 0' 3" = 4.17 cft

30.24 cft

18.64 cubic M.

(a) 3562.40 = Rs 3064/w

(5) Providing 6 mm thick 1:4:7 plaster punning and three coat chunre putar on the top of roof level

Wall

Continuation

Bf = 119891/w

Sch. XLV—Form No. 134

10

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1 x 119' 8" x 10' =		10'	99'	1781	
3 x 2'-6" x 0'-5" =		0'-5"	3'-13"	86'	
			102'-29"		
			06'		
			29'-5" (com)		
(a) 86.80				= Rs 825	
(b) Providing 68 m.m. thick R.C.C. (1:2:4) in chhajja					
Window first floor					
1 x 2 x 5'-0" x 2'-0" x 0'-2.5"					
				= 4.17 cft	
1 x 2 x 2'-0" x 2'-0" x 0'-2.5"					
				= 1.67 cft	
				5.83 cft	
				5.4 cubic m.	

(a) 3562.40 = Rs 2280/w

(b) Providing R.C.C. in beam					
1 x 1 x 19'-8" x 10' x 1'-0"					
				= 16.39 cft	
				1.46 cubic m.	

(a) 3562.40 = Rs 1639/w

(b) Providing 5:3 R.C.C. in Roof					
first floor					
1 x 24'-8" x 19'-4"					
				= 476.89 cft	
				55 cft	
				11.30 cubic m.	
1 x 24'-8" x 10'-2"				= 260.78	
				0 cft	

others = Continuation 2.50 cft
 730.17
 730.17 x 0'-5" = 304.24 cubic feet
 = 8.62 cubic m

Bf = Rs 124635/-

Sch. XLV—Form No. 134

11

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.O.	B.	D.R.	
① 3562.40				Ap	30708/-
9. R.C.C. Detail					
S. No.	Item	Unit	Quantity	Rate	Total
1	stairs	cbf	135.78	2	271.56
2	stair	cbf	36.11	2	72.22
3	Lintel	cbf	56.70	2	113.4
4	Lintel	cbf	30.24	2	60.48
5	chhji	cbf	1.67	2	3.34
6	beam	cbf	16.39	5.50	90.19
7	Beam	cbf	304.2	2	608.4
Total					30808/-

			1219.62	
			129	
② 61:6	=			Rs 75128/-
				Rs 20047/-
(10) Providing 16 gauge thick				
C.R.C. sheet and 35 x 35 x 5 mm				
M.S. angle, made on pulla				
	40 x 40 x 6 mm			
①	= 8 x 3' - 6" x 7' - 6"		195.00	cbf
②	= 8 x 5' - 0" x 5' - 0"		200.00	
			396.00	cbf
			36.80	sqm
③	1904.20			Rs 700
				78.24
				Rs 30067/-

Continuation

= 300549/-

Bf = Rs 33581.00/w

Sch. XLV—Form No. 134

14

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L."	B.	D.	
Open verandah					
14 x 5'-6" x 5'-0"					= 385.00
Open verandah					
14 x 7/8 x 5'-6" x 5'-6"					= 146.22
Black board					257
Stairs					
2 x 2 x 5'-0" x 10'-0"					= 400
					1920.56
					361
					6543.81
Outer part					
Wall (5'-4" x 2'-6")					
2 x 20'-0"					= 3353.33
					567

~~6x~~ = 615

Railing					
2 x 11'-2" x 3'-3"					= 755.08
					541
Head Run					
1 x 66'-0" x 7'-0"					= 462.00
					5185.41
Deduction					
Window					
8 x 5'-0" x 5'-0"					= 200.00
Open verandah					
4 x 4'-4" x 7'					= 121.34
Open verandah					
14 x 5'-6" x 5'-0"					= 385.00
Open verandah					
14 x 7/8 x 5'-6" x 5'-6"					= 166.22

Continuation

872.56
B = 4312.85-567

Bf = Rs 235810

Sch. XLV—Form No. 134 15

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
A + B =					
10856.66 sq ft					
= 1008.98 sq m.					
① 61.90				Rs 62456	
				62456/w	
(14) Providing 12mm thick cement plaster 1:6 ratio					
D.P.C. length = 167'-8"					
D.P.C. =					
167'-8" x 9'-6" = 419.17					
2 - 60801					
38.95 sq m					
② 83.70				Rs 3261/w	

(14) Providing white washing three coats as per specification					
Total =					
6428.218 + 192 +					
3349.51					
- 5969.995					
= 926.58 sq m.					
① 6.80				Rs 6300	

(15) Providing three coats of cement on the outer surface of wall as per specifications					
4812.85					
= 400.82 sq m					
② 77.90				Rs 31224/w	

Continuation

Bf = 435790/

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
(16) Providing red lead paint and one coat primer of Doors and windows				
Door =	2.25 x 8	3' 6"	7' 0"	
				= 44.00
Window =	2.25 x 8	5' 0"	5' 0"	
				= 45.00
Wall =	8	5' 0"	5' 0"	
				= 20.00
Wall =	1	4' 0"	7' 0"	
				= 28

1 x 10' x 7' = 70 sq ft.

1189.00

= 110.50

(2) 13.40 = Rs 1481/40

(17) Providing two coat paint and one coat primer of Doors and windows as per specifications:—

110.50

(2) 63.90 = Rs 706/40

(18) Shuttering and propping work with Lintel beam, Plinth beam e.t.c:—

117.73 + m² @ 153.70. Rs 28095/

65.04 m²

182.77 m²

Continuation

Bf = Rs 472427/00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(19) Shuttering, and propping work with removal in column etc	58.83				
	287.70	=			Rs 13991/00
(20) Shuttering and propping work with removal in chajja's roof :-	377.58	@	178.2		Rs 67859/00
(21) fan work - 8 No @	98.20	=			Rs 1785/00
Note - R.C.C. in grade beam is not calculated					
(22) Providing R.C.C. in grade beam: — (F-F)	256'-0" x 0'-10" x 0'-8"				
		=	142.22 cft		
		=	4.03 m ³		
@ 3562 = 40	=				Rs 14360/00
R.C.C = 142.22 x 2kg					
	=	284.44			
@ 61.6	=				Rs 17522/00
Total = 586944					
back page No					Rs 73715
Total Bill					Rs 6659/00
(23) Providing parent stone block on g. + stairway	10' x 18'	=	180 sqft		
		=	16.113 m ²		
@ 265.80	=				Rs 4447/00

Continuation

Bf = Rs 1175106/w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(24) Providing 6 m m thick					
1:4, plaster punning and three coats					
chuna putar betoo					
R.C.C. Roof of three ROOM					
Wall -					
1 x 315' 8" x 6' 10"					
					= 263.06
					6. FT
					24.45
					= 24.45 m ²
② 103.10					= Rs 2521/w
(25) Providing 125 m m thick 1000, brick work					
2 1/4 y → one f-f					

first floor -					
Rack - 1 x 1 x 1' 6" x 7' 0"					
					= 10.50 sq ft
1 x 3 x 2' 6" x 10' 0"					= 7.500
					sq ft
Veranda Railing -					
2 x 6' 0" x 3' 0"					= 36.00
					sq ft
3 x 5' 7" x 3' 0"					= 50.25
					sq ft
					171.75
first floor parapet -					
1 x 100' 4" x 0' 3"					= 25.08
					sq ft
					196.83
					sq ft
					= 18.29 sq m
500.10					= Rs 9147/w
					Total = Rs 1186774/w

Continuation

Bf = Rs 1186774/w

Sch. XLV—Form No. 134

19

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area		
	No.	L.	B.	D.			
(26) Providing 40 mm dia G.I pipe from roof drainage water to tal = 20 m							
(27) 10% w/w					Rs 2080/w		
					Total = Rs 1188854		
(27) Deduct c.p. =							
1188854 x 13.05					= Rs 155145		
100					Total = 1033709/w		
Actual carriage (50m)					Rs		
(28) Local carriage							
S. No.	Material	Dist. unit	Dist. m	Rate	Quant	Amount	
1.	Brick	Kit	How	8	543.20	50	27545/w
2.	Sand	ps	cum	5	957.00	96.85	24406/w
3.	Aggr	ps	cum	40	583.20	82.19	47933/w
						Total	99884
						Total = Rs	1133593/w
(29) Local carriage 2%							22672
						Total =	1156265
						Rs	1156265
(30) Contingency 1%							11562/w
(31) Supervision 1%							11562/w
						Total =	1179389
						Rs	

Continuation

105



अनुसूची - 11
अनुसूची - 11
अनुसूची - 11
अनुसूची - 11

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) माध्यम से निर्माण हेतु एक एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक.....को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद(वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय.....(प्रथम पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.)
.....ग्राम.....
.....जिला.....
तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित है, को कहा जाय.....
.....(द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत संगठित है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग-कक्ष, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों-पक्ष-निम्नांकित समझौते और-शर्तों-को-स्वीकार-करते-हैं:-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा)
.....रुपये जो स्वीकृत प्रावकलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

(2)

3. निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई) कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%।

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्च का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

3/03

4 लेखा का संधारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य.....(महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राइंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीने में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या कायम विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

4

7. द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएंगे।
- (ग) - अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्धाकरण देगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

7.2

अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों की पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

8. विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे

10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।

11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
.....सचिव,
विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री
..... विद्यालय के

अ) प्रधानाध्यापक... अरविन्द कुमार सिंह...
समिति की ओर से द्वितीय पक्ष

ब) सहायक शिक्षक - सवित्रा कुमारी

गवाह

1. निर्मल सिंह

2. राजेश सिंह

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री
राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
शिक्षा परियोजना परिषद समिति
जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
उनके उत्तराधिकारी शामिल है।